यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम

Union Bank of India
A Government of India Undertaking

वर्ष 2022-23 हेतु सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए)/ घरेलू शाखाओं के लिए सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों (एसबीए) की नियुक्ति हेतु नीति

अनुक्रमणिका

अनुच्छेद क्रं.	विवरण	पृष्ठ सं
भाग ए	**सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति के लिए नीति**	
1	प्रस्तावना	1
2	सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के चयन और नियुक्ति के लिए नीति की आवश्यकता	1
3	वर्ष 2022-23 के लिए लेखापरीक्षा फर्मों की संख्या और रिक्ति की स्थिति	2
4	लेखापरीक्षा और आवंटन का कवरेज	2
5	लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता	3
6	एससीए के व्यावसायिक मानक	4
7	कार्यकाल और आवर्तन	4
8	सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के पैनल पर मानदंड	5
8 A	मूल पात्रता	5
8 B	अतिरिक्त विचार	6
8 C	बुनियादी पात्रता मानदंड का निरंतर अनुपालन	7
9	सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया	8
फॉर्म बी:	**(**फर्म का नाम और फर्म की पंजीकरण संख्या**)** से पात्रता प्रमाण पत्र	11
फॉर्म सी:	एससीए/एसए के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित लेखापरीक्षा फर्म की पात्रता के संबंध में वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) और शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र	12

<u>भाग -बी</u>	**वर्ष 2022-23 हेतु घरेलू शाखाओं के लिए सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों (एसबीए) की नियुक्ति हेतु नीति**	18
1	प्रस्तावना और पृष्ठभूमि	18
2	नीति का उद्देश्य और दायरा	18
3	नीति निर्माण और कार्यान्वयन पर आरबीआई के दिशानिर्देश	18
4	भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों और प्रक्रिया का अनुपालन	19
	खंड-I : सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए कारोबार कारोबार और शाखाओं के चयन के लिए पद्धति	19
5	लेखापरीक्षा के अंतर्गत आने वाली शाखाओं का चयन	19
6	शाखाओं के वर्गीकरण के लिए मानदंड:	22
	खंड - II :पात्रता मानदंड और लेखापरीक्षा के वर्गीकरण के लिए मानदंड:	23
	खंड – III : एसबीए के चयन और नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति और शाखाओं के आवंटन की प्रक्रिया:	25
7	नियुक्ति की प्रक्रिया	25
8	नियुक्ति की अवधि	25
9	लेखापरीक्षकों को हटाना	25
10	शाखाओं के आवंटन के सिद्धांत	25
11	प्रतिबंधात्मक श्रेणी	26
12	लेखापरीक्षा फर्मों के चयन के लिए मानदंड	26
13	गैर-सतत लेखापरीक्षा संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया	27
14	शाखाओं का आवंटन	28
15	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शाखाओं का टैक्स लेखापरीक्षा	28
16	लेखापरीक्षा फर्मों के पैनल की सिफारिश और अनुमोदन	28
17	एससीए/एसबीए की नियुक्ति के लिए नीति की वैधता और उसमें संशोधन	29
	खंड – IV :भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न घोषणाओं/वचन पत्र के प्रारूप, जिन्हें एसबीए द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है:	30
अनुलग्नक I	शाखाओं की सांविधिक शाखा लेखापरीक्षा करने के लिए सहमति पत्र	30
अनुलग्नक II	एसबीए द्वारा प्रस्तुत घोषणापत्र का प्रोफोर्मा	31
अनुलग्नक III	एसबीए द्वारा प्रस्तुत गैर-ऋणग्रस्तता की घोषणा का प्रारूप	32
अनुलग्नक IV	एसबीए द्वारा प्रस्तुत सामान्य घोषणा का प्रारूप	33

अनुलग्नक V	एसबीए द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र का प्रारूप	34

भाग –ए

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की वर्ष 2022-23 की नियुक्ति हेतु नीति

1. प्रस्तावना:

भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के चयन और नियुक्ति पर नीति तैयार करना.

2. सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति के लिए नीति की आवश्यकता:

2.1 वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 25/11/2014 के एफ.सं.1/14/2004-बीओए के माध्यम से सूचित किया है कि एससीए के चयन और नियुक्ति का कार्य वर्ष 2014-15 से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सौंपा गया है. प्रत्येक वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक से लेखापरीक्षा फर्मों की पात्रता और सूचीबद्धता संबंधी मानदंडों के साथ चयन मानदंड प्राप्त किए जा रहे हैं.

2.2 पीएसबी के लिए, एससीए के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र लेखापरीक्षा फर्मों का पैनल संबंधित वर्ष की 1 जनवरी को आरबीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर सीएंडएजी के कार्यालय द्वारा किया जाना जारी रहेगा. सीएंडएजी द्वारा आरबीआई को प्रस्तुत की गई फर्मों की सूची, पात्र फर्मों की पहचान करने के लिए और उन लेखापरीक्षा को जिन्हें सीएण्डएजी/आरबीआई द्वारा लेखापरीक्षा से वंचित कर दिया गया है, को हटाने के लिए आरबीआई द्वारा जांच के अधीन होगी. आरबीआई वार्षिक आधार पर सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एससीए के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र सभी लेखापरीक्षा फर्मों की एक सूची अग्रेषित करेगा. पीएसबी निर्धारित उद्देश्य मानदंडों (जैसे पूर्णकालिक भागीदारों की संख्या, व्यावसायिक कर्मचारियों की संख्या, सीआईएसए/आईएसए योग्य भागीदारों/भुगतान सीए की संख्या, एफसीए आदि) के आधार पर आरबीआई से प्राप्त पात्र लेखापरीक्षा फर्मों की उक्त सूची से लेखापरीक्षा फर्मों को चयनित करेंगे, जैसा कि बैंक की नीति के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित किया गया है.

2.3 साथ ही, पीएसबी एससीए के पारदर्शी तरीके से चयन हेतु एसीबी के समक्ष अधिमान्यता क्रम में चयनित की गई फर्मों की सूची रखेंगे. पीएसबी द्वारा अपने एसीबी के परामर्श से एससीए का चयन करने और आरबीआई द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुपालन की पुष्टि करने पर, पीएसबी को एससीए की नियुक्ति के लिए आरबीआई की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी.

2.4 वित्तीय वर्ष 2021-22 से, सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के चयन और नियुक्ति हेतु आरबीआई के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, आरबीआई पीएसबी को पात्र लेखापरीक्षा फर्मों की एक सूची प्रदान कर रहा है। उक्त सूची में शामिल फर्मों को किसी भी क्रम में श्रेणीबद्ध नहीं किया जाएगा और सभी फर्म सभी पीएसबी द्वारा चयन के लिए पात्र होंगी।

2.5 आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को अपनी आधिकारिक वेबसाइट/सार्वजनिक डोमेन पर होस्ट करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करने और एससीए की नियुक्ति के लिए उसके तहत आवश्यक प्रक्रिया तैयार करने की आवश्यकता है. इन निर्देशों के अलावा सभी प्रासंगिक

सांविधिक/नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप होने के अलावा, यह इस महत्वपूर्ण आश्वासन कार्य के अधिकांश प्रमुख पहलुओं के लिए आवश्यक पारदर्शिता और निष्पक्षता को प्रदान करेगा.

2.6 सभी वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और शहरी सहकारी बैंकों को उपर्युक्त सांविधिक प्रावधानों के अनुसार वार्षिक आधार पर एससीए/एसए की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (पर्यवेक्षण विभाग) का पूर्वानुमोदन लेना होगा. इस उद्देश्य हेतु, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को आरबीआई से पात्र लेखापरीक्षा फर्मों की सूची प्राप्त होने के एक महीने के भीतर पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, आरबीआई को आवेदन करना चाहिए.

3. वर्ष 2022-23 के लिए लेखापरीक्षा फर्मों की संख्या और रिक्ति की स्थिति:

3.1 संस्थाएं (बैंक) बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के आधार पर और *अन्य बातों के साथ-साथ*, संपत्ति के आकार और प्रसार, लेखांकन और प्रशासनिक इकाइयां, लेनदेन की जटिलता, कम्प्यूटरीकरण का स्तर, अन्य स्वतंत्र लेखापरीक्षा इनपुट की उपलब्धता, वित्तीय रिपोर्टिंग में पहचाने गए जोखिम जैसे प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एससीए की संख्या पर निर्णय ले सकती हैं.

3.2 तथापि, संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, आरबीआई ने बैंक के कुल आस्तियों आकार के आधार पर नियुक्त किए जाने वाले एससीए की स्लैब-वार अधिकतम संख्या निम्नानुसार निर्धारित की है :

क्रमांक सं	इकाई की आस्तियों का आकार	एससीए/एसए की अधिकतम संख्या
1.	₹5,00,000 करोड़ तक	4
2.	₹5,00,000 करोड़ से अधिक और ₹10,00,000 करोड़ तक	6
3.	**₹10,00,000 करोड़ से अधिक और ₹20,00,000 करोड़ तक**	**8**
4.	₹20,00,000 करोड़ से अधिक	12

3.3 उपरोक्त सीमाएं यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित की गई हैं कि संस्थाओं द्वारा नियुक्त एससीए/एसए की संख्या पर्याप्त है, आस्तियों के आकार और संस्थाओं के संचालन की सीमा के अनुरूप है और, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखापरीक्षाएँ समय पर और प्रभावी तरीके से आयोजित की जाती हैं. यह अनुभव के आधार पर भविष्य में समीक्षा के अधीन होगा. उपरोक्त दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए और संपत्ति के आकार के आधार पर, हमारा बैंक अधिकतम 8 फर्मों को एससीए के रूप में नियुक्त कर सकता है.

3.4 31 मार्च को ₹ 10 लाख करोड़ से अधिक के बैंक के आस्ति का आकार को ध्यान में रखते हुए , एसीबी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 6 एससीए फर्मों को लेखापरीक्षा असाइनमेंट हेतु चुना गया था और यह नीति उन 6 लेखापरीक्षा फर्मों को जारी रखने का प्रस्ताव करती है जो समन्वय एवं कार्य के उचित आवंटन के साथ लेखापरीक्षा को समय पर पूरा करने के लिए उपयुक्त होगी।

4 लेखापरीक्षा और आवंटन का कवरेज:

4.1 यह निर्धारित किया गया है कि इकाई (बैंक) के संयुक्त लेखापरीक्षकों का कोई उभयनिष्ठ साझेदार नहीं है और वे लेखापरीक्षा फ़र्मों के एक ही नेटवर्क के अंतर्गत नहीं हैं [जैसा कि कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 6(3) में परिभाषित किया गया है] . लेखापरीक्षा के सुचारू संचालन के लिए, बैंक अपने एससीए के परामर्श से, सांविधिक लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले, एससीए के बीच कार्य आवंटन को अंतिम रूप देगा.

4.2 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की पात्रता, पैनल और चयन पर मानदंड' पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएसबी एससीए को शीर्ष 20 शाखाएँ (बकाया अग्रिम के स्तर के क्रम से चयनित होने के लिए) आवंटित करेंगे, जिससे एससीए द्वारा बैंक के कुल सकल अग्रिम का न्यूनतम 15% कवर किया जा सके.

5 लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता:

5.1 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) प्रासंगिक नियामक प्रावधानों, मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के संदर्भ में लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और हितों के टकराव की स्थिति की निगरानी और मूल्यांकन करेगी. इस संबंध में किसी भी चिंता को एसीबी द्वारा बैंक के निदेशक मंडल और आरबीआई के संबंधित वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक (एसएसएम)/क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) को सूचित किया जा सकता है.

5.2 बैंक के प्रबंधन के साथ किसी भी मामले में, जैसे कि प्रबंधन द्वारा सूचना की अनुपलब्धता/असहयोग, जो लेखापरीक्षा प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकता है, एससीए आरबीआई के एसएसएम/आरओ को सूचित करते हुए बोर्ड/एसीबी से संपर्क करेंगे

5.3 बैंक के संगामी लेखापरीक्षकों का बैंक के एससीए के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए. एक ही संदर्भ वर्ष के लिए बैंक और बैंक के साथ बड़े एक्सपोजर वाली इकाई (बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क के आरबीआई निर्देशों में परिभाषित) की लेखापरीक्षा को भी लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता का आकलन करते समय स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए.

5.4 बैंक के लिए एससीए द्वारा किसी भी गैर-लेखापरीक्षा कार्यों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 में उल्लिखित सेवाएं, आंतरिक असाइनमेंट, विशेष असाइनमेंट, आदि) या इसके समूह संस्थाओं के लिए किसी भी लेखापरीक्षा/ गैर-लेखापरीक्षा कार्यों के बीच एससीए के रूप में नियुक्ति से पहले या बाद में कम से कम एक वर्ष का समय अंतराल होना चाहिए. हालांकि, एससीए के कार्यकाल के दौरान, एक लेखापरीक्षा फर्म बैंक को ऐसी सेवाएं प्रदान कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप आम तौर पर हितों का टकराव नहीं होता है, और बैंक इस संबंध में बोर्ड/एसीबी के परामर्श से अपना निर्णय ले सकता है.

5.5 अनुच्छेद 5.3 और 5.4 में वर्णित उपरोक्त प्रतिबंध लेखापरीक्षा फर्मों के समान नेटवर्क के तहत एक लेखापरीक्षा फर्म या उभयनिष्ठ साझेदार वाली किसी अन्य लेखापरीक्षा फर्म पर भी लागू होंगे.

5.6 निम्नलिखित विशेष कार्यों (सांकेतिक सूची) के मामले में आम तौर पर टकराव उत्पन्न नहीं होगा :

(i) कर लेखापरीक्षा , कर प्रतिनिधित्व और कराधान मामलों पर सलाह,

(ii) अंतरिम वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा.

(iii) सांविधिक या नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र.

(iv) वित्तीय जानकारी या उसके खंडों पर रिपोर्टिंग.

6 एससीए के व्यावसायिक मानक:

6.1 एससीए उच्चतम सावधानी के साथ अपनी लेखापरीक्षा जिम्मेदारियों के निर्वहन में प्रासंगिक व्यावसायिक मानकों का पालन करेंगे.

6.2 एसीबी वार्षिक आधार पर एससीए के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करेगा. लेखापरीक्षा जिम्मेदारियों में कोई गंभीर चूक/लापरवाही या एससीए की ओर से आचरण के मुद्दे या प्रासंगिक माने जाने वाले किसी अन्य मामले को वार्षिक लेखापरीक्षा के पूरा होने के दो महीने के भीतर आरबीआई को सूचित किया जाएगा. ऐसी रिपोर्ट लेखापरीक्षा फर्म के पूर्ण विवरण के साथ एसीबी के अनुमोदन/सिफारिश के साथ भेजी जानी चाहिए.

6.3 बैंक के वित्तीय विवरणों के गलत विवरण के परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा कार्य करने में चूक की स्थिति में, और बैंक के संबंध में एससीए की भूमिका और जिम्मेदारियों के संबंध में आरबीआई के निर्देशों/दिशानिर्देशों के उल्लंघन/चूक के मामले में, एससीए प्रासंगिक सांविधिक/विनियामक ढांचे के तहत उचित कार्रवाई हेतु बाध्य होंगे.

7 कार्यकाल और आवर्तन:

7.1 लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षा फर्मों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, बैंक प्रत्येक वर्ष फार्म द्वारा पात्रता मानदंड पूरा करने की शर्त पर, लगातार तीन वर्षों की अवधि के लिए एससीए की नियुक्ति करेगा. इसके अलावा, बैंक उपरोक्त अवधि के दौरान केवल आरबीआई के संबंधित कार्यालय (पर्यवेक्षण विभाग) के पूर्व अनुमोदन के साथ, जैसा कि इस नीति के पैरा 2.6 में उल्लिखित नियुक्ति के लिए पूर्व अनुमोदन के लिए लागू है, लेखापरीक्षा फर्मों को हटा सकता है.

7.2 एक लेखापरीक्षा फर्म, लेखापरीक्षा कार्यकाल अवधि के पूर्ण या आंशिक अवधि पूरा होने के बाद छह साल (दो कार्यकाल) के लिए उसी बैंक में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी. तथापि, लेखापरीक्षा फर्म अन्य संस्थाओं/बैंकों की सांविधिक लेखापरीक्षा करना जारी रख सकती हैं.

7.3 साथ ही, जिन लेखापरीक्षा फर्मों ने पहले ही बैंक के साथ 1 वर्ष या 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है (मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार नियुक्त) को केवल शेष अवधि अर्थात 2 वर्ष और 1 वर्ष को पूरा करने की अनुमति दी जा सकती है, यदि वे वार्षिक आधार पर मानदंड पात्रता को पूरा करते हैं . तथापि, यदि किसी लेखापरीक्षा फर्म ने बैंक का आंशिक कार्यकाल (1 वर्ष या 2 वर्ष) के लिए लेखापरीक्षा की है और फिर शेष कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं किया गया है, तो वे भी बैंक के साथ छह साल के कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे.

7.4 एक लेखापरीक्षा फर्म एक साथ अधिकतम चार वाणिज्यिक बैंकों [एक से अनधिक पीएसबी या एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, एक्जिम बैंक) या आरबीआई सहित], किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक इकाई के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड और अन्य शर्तों के अनुपालन के अधीन और किसी भी

अन्य विधियों या नियमों द्वारा निर्धारित समग्र सीमा के भीतर, आठ यूसीबी और आठ एनबीएफसी की सांविधिक लेखापरीक्षा कर सकती है.

7.5 स्पष्टता के लिए, यूसीबी के लिए निर्धारित सीमाएं उसी लेखापरीक्षा फर्म द्वारा अन्य सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा को बाहर करती हैं. इस नीति के प्रयोजन के लिए, उभयनिष्ठ भागीदारों और/या एक ही नेटवर्क के तहत लेखापरीक्षा फर्मों के एक समूह को एक इकाई के रूप में माना जाएगा और तदनुसार एससीए के आवंटन के लिए उन पर विचार किया जाएगा.

7.6 लेखापरीक्षा फर्मों के एक नेटवर्क के तहत किसी अन्य/सहयोगी लेखापरीक्षा फर्म द्वारा साझा/उप-संविदा लेखापरीक्षा की अनुमति नहीं है. यदि ऐसी लेखापरीक्षा फर्म निर्गामी लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्मों के एक ही नेटवर्क के अंतर्गत आने वाली लेखापरीक्षा फर्म के साथ जुड़ी हो तब आवक लेखापरीक्षा फर्म पात्र नहीं होगी .

8 सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के पैनल पर मानदंड :

8.1 पात्रता मापदंड:

A) मूल पात्रता:

पिछले वर्ष के 31 मार्च को इकाई की आस्तियों का आकार	कम से कम तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए फर्म से जुड़े पूर्णकालिक साझेदारों (एफ़टीपी) की न्यूनतम संख्या नोट 1	कुल एफ़टीपी में से, कम से कम तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए फर्म से जुड़े साथी चार्टर्ड एकाउंटेंट (एफसीए) साझेदारों की न्यूनतम संख्या	सीआईएसए/आईएसए योग्यता के साथ पूर्णकालिक साझेदारों /वेतनभोगी सीए की न्यूनतम संख्या नोट 2	फर्म के लेखापरीक्षा अनुभव के वर्षों की न्यूनतम संख्या नोट 3	व्यावसायिक कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या नोट 4
रु.15,000 करोड़ रुपये से अधिक	7	4	2	15	18

नोट 1: पूर्णकालिक साझेदार के रूप में विचार करने के लिए (पीएसबी के लिए) पैनल में शामिल होने की तिथि को फर्म के साथ साझेदारों का कम से कम एक वर्ष का निरंतर जुड़ाव होना चाहिए. इसके अलावा, एससीए के रूप में नियुक्ति के लिए, फर्म के कम से कम दो साझेदारों का फर्म के साथ कम से कम 10 वर्षों तक निरंतर जुड़ाव होना चाहिए.

इस प्रयोजन के लिए, फर्म के साथ पूर्णकालिक साझेदार के जुड़ाव का अर्थ होगा अनन्य जुड़ाव (exclusive association). ' अनन्य जुड़ाव ' की परिभाषा निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित होगी:

(a) पूर्णकालिक साझेदार अन्य फर्मों में साझेदार नहीं होना चाहिए.

(b) उन्हें अन्यत्र पूर्णकालिक/अंशकालिक नियोजित नहीं होना चाहिए.

(c) उन्हें अपने नाम से कार्य नहीं करना चाहिए या अन्यथा कारोबार नहीं करना चाहिए या अन्य गतिविधि में संलग्न नहीं होना चाहिए जिसे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 2 (2) के तहत कारोबार माना जाता है.

(d) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में, फर्म/एलएलपी से साझेदार की आय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पूर्णकालिक साझेदारों के रूप में विचार करने के उद्देश्य से सीएंडएजी के कार्यालय द्वारा निर्धारित सीमा से कम नहीं होनी चाहिए. अन्य संस्थाओं के लिए, बोर्ड/एसीबी/एलएमसी जांच करेगा और सुनिश्चित करेगा कि फर्म/एलएलपी से साझेदार की आय उन्हें पूर्णकालिक विशेष रूप से संबद्ध साझेदारों के रूप में विचार करने के लिए पर्याप्त है, जो इस उद्देश्य के लिए फर्म की क्षमता सुनिश्चित करेगा.

नोट 2: सीआईएसए / आईएसए योग्यता - सीआईएसए / आईएसए योग्यता के साथ वेतनभोगी सीए के रूप में विचार करने हेतु फर्म का बैंक में पैनलबद्ध होने की तिथि को सीआईएसए / आईएसए योग्यता युक्त वेतनभोगी सीए का फ़र्म के साथ कम से कम एक साल का निरंतर जुड़ाव होना चाहिए.

नोट 3: लेखापरीक्षा अनुभव - लेखापरीक्षा अनुभव का अर्थ होगा लेखापरीक्षा फर्म का सांविधिक केंद्रीय / वाणिज्यिक बैंकों के शाखा लेखापरीक्षक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) / एआईएफआई के रूप में अनुभव. लेखापरीक्षा फर्मों के विलयन और डीमर्जर के मामले में, विलयन के 2 साल बाद विलयन प्रभाव दिया जाएगा, जबकि इस उद्देश्य के लिए अलगाव/डीमर्जर तुरंत प्रभावित होगा.

नोट 4: व्यावसायिक कर्मचारी - व्यावसायिक कर्मचारी में लेखा-परीक्षा और आबद्ध शिक्षार्थी शामिल हैं जिन्हें बहीखाता पद्धति और लेखा-जोखा का ज्ञान है और जो ऑन-साइट लेखापरीक्षा में लगे हुए हैं, लेकिन टाइपिस्ट/स्टेनो/कंप्यूटर ऑपरेटर/सचिव/अधीनस्थ कर्मचारी आदि शामिल नहीं हैं. पैनल में शामिल होने की तारीख को फर्म के साथ व्यावसायिक कर्मचारी का कम से कम एक वर्ष का निरंतर जुड़ाव होना चाहिए, जिससे उन्हें इस उद्देश्य के लिए व्यावसायिक कर्मचारी के रूप में माना जा सके.

B) अतिरिक्त विचार:

i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 के अनुसार लेखापरीक्षा फर्म को कंपनी के लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विधिवत योग्य होना चाहिए.

ii) लेखापरीक्षा फर्म को किसी भी सरकारी एजेंसी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई), आरबीआई या अन्य वित्तीय नियामकों द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए.

iii) संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि एससीए/एसए की नियुक्ति आईसीएआई की आचार संहिता/इस तरह के किसी भी अन्य मानकों के अनुरूप है और हितों के टकराव को जन्म नहीं देती है.

iv) यदि चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म का कोई साझेदार किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) में निदेशक है, तो उक्त फर्म को किसी पीएसबी के एससीए/एसए के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा. इसके अलावा, यदि चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म का कोई साझेदार किसी इकाई में निदेशक है, तो उक्त फर्म को उस इकाई के किसी भी समूह इकाई के एससीए/एसए के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा.

स्पष्टीकरण: इस नीति के प्रयोजन के लिए, समूह संस्थाओं का अर्थ निम्नलिखित में से किसी भी संबंध के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित दो या दो से अधिक संस्थाओं से होगा, अर्थात, सहायक - मूल (एएस 21 के अनुसार परिभाषित), संयुक्त उद्यम (एएस 27 के अनुसार परिभाषित), एसोसिएट (एएस 23 के अनुसार परिभाषित), प्रमोटर- प्रमोटी [जैसा कि सेबी (शेयरों का अर्जन और अधिग्रहण) विनियमों, 1997 के प्रावधानों के अनुसार] सूचीबद्ध कंपनियों के लिए, एक संबंधित पार्टी (एएस 18 के अनुसार परिभाषित), सामान्य ब्रांड नाम, और 20% और उससे अधिक के इक्विटी शेयरों में निवेश.

v) लेखापरीक्षकों के पास कंप्यूटर सहायता प्राप्त लेखापरीक्षा उपकरण और तकनीक (सीएएटीटी) और सामान्यीकृत लेखापरीक्षा सॉफ्टवेयर (जीएएस) को लागू करने की क्षमता और अनुभव होना चाहिए, जो उन संस्थाओं के कंप्यूटर वातावरण के स्तर/जटिलता के अनुरूप है जहां लेखांकन और व्यावसायिक डेटा लेखापरीक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए रहते हैं.

C) बुनियादी पात्रता मानदंड का निरंतर अनुपालन:

यदि कोई लेखापरीक्षा फर्म (नियुक्ति के बाद) किसी भी पात्रता मानदंड का पालन नहीं करती है (किसी भी साझेदार, कर्मचारी के इस्तीफे, मृत्यु आदि के कारण, सरकारी एजेंसियों, एनएफआरए, आईसीएआई, आरबीआई, अन्य वित्तीय नियामकों आदि द्वारा कार्रवाई के कारण), तब वह पूर्ण विवरण के साथ तुरंत बैंक से संपर्क कर सकती है. इसके अलावा, लेखापरीक्षा फर्म एक उचित समय के भीतर पात्र बनने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी और किसी भी मामले में, लेखापरीक्षा फर्म को 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक सांविधिक लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले और वार्षिक लेखापरीक्षा पूरा होने तक उपरोक्त मानदंडों का पालन करना चाहिए .

लेखापरीक्षा शुरू होने के बाद, किसी भी असाधारण परिस्थिति के मामले में, जैसे एक या एक से अधिक साझेदारों, कर्मचारियों, आदि की मृत्यु, जो किसी भी पात्रता मानदंड के संबंध में फर्म को अयोग्य बनाती है, आरबीआई के पास संबंधित लेखापरीक्षा फर्म को लेखापरीक्षा को पूरा करने के लिए एक विशेष मामले के रूप में अनुमति देने का विवेक होगा.

9 सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया:

9.1 एससीए की नियुक्ति वार्षिक आधार पर की जाएगी, बशर्ते कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों और उनकी उपयुक्तता के अधीन भी हों.

9.2 रिक्ति की स्थिति के आधार पर, बैंक एससीए की प्रत्येक रिक्ति के लिए कम से कम 2 लेखापरीक्षा फर्मों को चयनित करेगा, जिससे यदि पहली अधिमान्यता में फर्म अपात्र पाई जाती है / नियुक्ति से इनकार करती है, तो दूसरी अधिमान्यता वाली फर्म को नियुक्त किया जा सकता है और एससीए की नियुक्ति प्रक्रिया में विलम्ब नहीं होता है. तथापि, बैंकों द्वारा लगातार 3 वर्षों की अवधि के कार्यकाल के पूरा होने तक एससीए की पुनर्नियुक्ति के मामले में, नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आरबीआई को कई लेखापरीक्षा फर्मों के नामों को चयनित करने और भेजने की कोई आवश्यकता नहीं होगी .

9.3 लेखापरीक्षा की सुविधा और वित्तीय विवरणों के समेकन को समय पर पूरा करने के लिए , कम से कम दो लेखापरीक्षा फर्मों का प्रधान कार्यालय उसी स्थान से होना उचित समझा जाएगा जहां बैंकों का मुख्यालय / सीओ स्थित है, अर्थात मुंबई. तथापि, मुंबई से एससीए फर्म की अनुपलब्धता के मामले में, उपयुक्त मानदंड और इस नीति के अनुसार आवश्यक अनुभव के साथ, बैंक मुंबई के बाहर से उपयुक्त लेखापरीक्षा फर्मों को नियुक्त करने का विकल्प चुन सकता है.

9.4 देश के कोने-कोने में बैंक की उपस्थिति को देखते हुए, जहां तक संभव हो भौगोलिक प्रतिनिधित्व के लिए उचित महत्व दिया जाना चाहिए (अर्थात उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और मध्य भारत), जिससे अनावश्यक यात्रा से बचा जा सके एवं लेखापरीक्षकों के बीच काम का समान वितरण हो, जिससे लेखापरीक्षा सुचारू और समयबद्ध तरीके से पूरी की जा सके.

9.5 चूंकि पीएसबी को प्रदान की गई एससीए फर्मों की सूची में आरबीआई द्वारा कोई रैंकिंग नहीं दी जाएगी, इसलिए उन लेखापरीक्षा फर्मों को अधिमान्यता दी जाएगी , जिनका हमारे बैंक के साथ संतोषजनक संबंध है, बड़े पीएसयू / सूचीबद्ध संस्थाओं की लेखापरीक्षा में अनुभव, सीआईएसए / डीआईएसए जैसे प्रमाणन और लेखापरीक्षा फर्म जो पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं और एससीए के रूप में नियुक्ति के लिए हमारे बैंक से संपर्क भी करते हैं.

9.6 जैसा कि बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा सुझाया गया है, निम्नलिखित मानदंड वांछनीय हैं. लेखापरीक्षा सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की क्षमता, विशेष लेखापरीक्षा आयोजित करने के क्षेत्र में अनुभव, जैसे फोरेंसिक लेखापरीक्षा , धोखाधड़ी जांच, साइबर सुरक्षा / आईएस लेखापरीक्षा , मूल्यांकन परीक्षा, आईआरपी प्रमाणन आदि. चूंकि ये विवरण आरबीआई सूची में नहीं लाए गए हैं, इसलिए इसे चयन से पहले लेखापरीक्षा फर्मों से अलग से मांगा जा सकता है. अधिमान्यता क्रम देते समय, उपरोक्त सभी मानदंडों के आधार पर एक समग्र दृष्टिकोण लिया जाएगा और तदनुसार अंतिम चयनित सूची बनाई जाएगी.

9.7 बैंक ने सीजीएम / जीएम की एक समिति गठित की है जिसे "एससीए और एसबीए चयन समिति" कहा जाता है (जिसे इसके बाद 'समिति' कहा जाता है) जिसमें i) मुख्य वित्तीय अधिकारी ii) वर्टिकल प्रमुख - लेखापरीक्षा और निरीक्षण iii) वर्टिकल प्रमुख - एसएएमवी शामिल हैं और iv)मुख्य जोखिम अधिकारी, यह लेखापरीक्षकों की शॉर्टलिस्टिंग और चयन के लिए और एसीबी / बोर्ड को इसकी सिफारिश करने के लिए गठित हुई है.

9.8 उपरोक्त मानदंडों और व्यक्तिगत लेखापरीक्षा फर्मों के उपलब्ध विवरण के आधार पर, समिति आरबीआई द्वारा प्रदान की गई योग्य एससीए फर्मों की सूची में से वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाली एससीए की रिक्तियों की संख्या की दोगुनी लेखापरीक्षा फर्मों की संख्या का चयन करेगी.

9.9 बैंक द्वारा एससीए के चयन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:

ए. एससीए के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र लेखापरीक्षा फर्मों का पैनल संबंधित वर्ष की 1 जनवरी को आरबीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर सीएंडएजी के कार्यालय द्वारा किया जाना जारी रहेगा.

बी. सीएंडएजी द्वारा आरबीआई को प्रस्तुत की गई फर्मों की सूची आरबीआई द्वारा जांच की जाएगी ताकि पात्र फ़र्मों और पात्र फ़र्मों सीएंडएजी/आरबीआई द्वारा लेखापरीक्षा से वंचित किए गए फ़र्मों की पहचान की जा सके. आरबीआई वार्षिक आधार पर सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एससीए के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र सभी लेखापरीक्षा फर्मों की एक सूची अग्रेषित करेगा.

सी. आरबीआई तीन साल की अनिवार्य कूलिंग की आवश्यकता के रूप में पीएसबी को पात्र लेखापरीक्षा फर्मों की एक सूची प्रदान करेगा और वित्त वर्ष 2021-22 से 'अनुभवी' और 'नई' लेखापरीक्षा फर्मों के बीच 60:40 के अनुपात में रिक्तियों का आवंटन समाप्त कर दिया गया है. उक्त सूची में शामिल फर्मों

को किसी भी क्रम में श्रेणीबद्ध नहीं किया जाएगा और सभी फर्म सभी पीएसबी द्वारा चयन के लिए पात्र होंगी.

डी. आरबीआई से एससीए की पात्र सूची प्राप्त होने पर और बैंक की रिक्ति स्थिति के आधार पर, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के मार्गदर्शन में वित्त एवं लेखा उक्त सूची से पात्र लेखापरीक्षा फर्मों से संपर्क करना शुरू कर देंगे, जो इस नीति में निर्धारित मानदंड उद्देश्य को पूरा करते हैं (जैसे पूर्णकालिक साझेदारों की संख्या, व्यावसायिक कर्मचारियों की संख्या, सीआईएसए/आईएसए योग्य वैतनिक सीए की संख्या, एफसीए की संख्या, लेखापरीक्षा अनुभव के वर्षों की संख्या आदि).

ई. वित्त एवं लेखा, इस प्रकार संपर्क की गई और बैंक के एससीए के रूप में काम करने के इच्छुक लेखापरीक्षा फर्मों की सूची अधिमान्यता क्रम में तैयार करेंगा. सूची में वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों की संख्या की कम से कम 3 गुना लेखापरीक्षा फर्मों की संख्या होनी चाहिए. अधिमान्यता सूची के औचित्य के साथ विचार विमर्श एवं लेखा परीक्षा फ़र्मों की संख्या में रिक्ति स्थानों की दुगनी संख्या तक छंटनी करने हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिसे अनुशंसा हेतु एसीबी को प्रस्तुत किया जाएगा.

एफ. समिति के समक्ष एससीए फर्मों की अधिमान्यता सूची रखते समय, वित्त एवं लेखा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्तावित लेखापरीक्षा फर्म आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार और इस नीति के अनुसार निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा कर रही हैं.

जी. समिति द्वारा अनुशंसित शॉर्टलिस्टेड एससीए फर्मों को संबंधित कार्यपालक निदेशक, वित्त एवं लेखा की सहमति से एसीबी के समक्ष रखा जाएगा.

एच. एससीए के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित लेखापरीक्षा फर्म (फर्मों) से फॉर्म बी के अनुसार प्रासंगिक जानकारी के साथ एक सहमति पत्र और प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि लेखापरीक्षा फर्म (फर्मों) इस उद्देश्य के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों का अनुपालन करती है. इस तरह के प्रमाण पत्र पर एससीए की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित लेखापरीक्षा फर्म के मुख्य साझेदार द्वारा उक्त लेखापरीक्षा फर्म की मुहर के तहत हस्ताक्षर किए जाने चाहिए.

जे. बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार लेखापरीक्षा फर्म (फर्मों) के अनुपालन को सत्यापित करेगा और उनकी पात्रता से संतुष्ट होने के बाद, **फॉर्म सी** के प्रारूप में प्रमाण पत्र के साथ नामों की सिफारिश करेगा , जिसमें कहा गया है कि जिन लेखापरीक्षा फर्म (फर्मों) को उनके द्वारा एससीए के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव है, वे इस उद्देश्य हेतु आरबीआई द्वारा निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों का अनुपालन करते हैं.

के. एससीए की नियुक्ति के लिए पूर्व अनुमोदन के लिए आरबीआई से संपर्क करते समय, संबंधित लेखापरीक्षा फर्म की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के शीघ्र अनुमोदन की सुविधा के लिए बैंक पिछले वर्ष के 31 मार्च (लेखापरीक्षित आंकड़े) के अनुसार कुल आस्ति आकार के आंकड़े देगा, एसीबी संकल्प की एक प्रति अग्रेषित करेगा जिसमें एससीए के रूप में नियुक्ति के लिए अधिमान्यता क्रम में लेखापरीक्षा फर्मों के नाम की सिफारिश करेगा, और फॉर्म बी और फॉर्म सी के अनुसार जानकारी प्रस्तुत करेगा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है.

एल. वर्तमान विनियमों के अनुसार , भारतीय रिज़र्व बैंक से पात्र लेखापरीक्षा फर्मों की सूची प्राप्त होने के एक महीने के भीतर एससीए के अनुमोदन के लिए बैंक को पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन करना चाहिए.

एम. आरबीआई से पुष्टि प्राप्त होने पर, लेखापरीक्षा फर्म (फर्मों) को अंतिम नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा. इसे सूचना के लिए निदेशक मंडल के समक्ष भी रखा जाएगा.

******

फार्म बी

(फर्म का नाम और फर्म पंजीकरण संख्या) से पात्रता प्रमाण पत्र

क. फर्म का विवरण :

पिछले वर्ष के 31 मार्च को इकाई की आस्ति का आकार	तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए फर्म के साथ जुड़े * पूर्णकालिक साझेदारों (एफ़टीपी) की संख्या	कुल एफ़टीपी में से, तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए फर्म से जुड़े एफसीए साझेदारों की संख्या	सीआईएसए/आईएसए योग्यता के साथ पूर्णकालिक साझेदारों /वैतनिक सीए की संख्या	लेखापरीक्षा अनुभव के वर्षों की संख्या#	व्यावसायिक कर्मचारियों की संख्या

**** सभी वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और ₹ 1,000 करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति आकार वाले शहरी सहकारी बैंकों/एनबीएफसी के मामले में अनन्य रूप से संबद्ध***

 # एससीए/एसए और एसबीए के रूप में अनुभव के लिए विवरण अलग से प्रस्तुत किया जा सकता है

बी. अतिरिक्त जानकारी:

(i) स्थापना प्रमाण पत्र की प्रति.

(ii) क्या फर्म लेखापरीक्षा फर्मों के किसी नेटवर्क की सदस्य है या फर्म का कोई साझेदार किसी अन्य लेखापरीक्षा फर्म में साझेदार है? यदि हां, तो उसका विवरण.

(iii) क्या फर्म को वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) और/या अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई)/आरबीआई/एनबीएफसी/यूसीबी द्वारा एससीए/एसए के रूप में नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो उसका विवरण.

(iv) क्या फर्म को किसी नियामक/सरकारी एजेंसी द्वारा लेखापरीक्षा कार्य करने से रोक दिया गया है? यदि हां, तो उसका विवरण.

(v) पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी वित्तीय नियामक/सरकारी एजेंसी द्वारा फर्म के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि का विवरण, बंद और लंबित दोनों.

सी. फर्म से घोषणा:

फर्म वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर)/यूसीबी/एनबीएफसी (जैसा लागू हो) के एससीए/एसए की नियुक्ति के संबंध में आरबीआई द्वारा निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों का अनुपालन करती है. यह प्रमाणित किया जाता है कि न तो मैं और न ही हमारा कोई साथी/मेरे/उनके परिवार के सदस्य (पति/पत्नी के अलावा परिवार में केवल बच्चे, माता-पिता, भाई, बहन या उनमें से कोई भी, जो पूरी तरह से या मुख्य रूप से चार्टर्ड एकाउंटेंट पर निर्भर है) या फर्म/कंपनी जिसमें मैं/वे साझेदार/निदेशक हूं/हैं को किसी बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित किया गया है.

यह पुष्टि की जाती है कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है.

साझेदार के हस्ताक्षर
(*साझेदार* का नाम)
दिनांक:

नोट: *इस घोषणा के प्रयोजन के लिए, उन कंपनियों द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं को शामिल नहीं किया जाएगा, जहां किसी फर्म के साझेदार को गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में बिना वित्तीय हित के व्यावसायिक क्षमता में नियुक्त किया गया है.*

फॉर्म सी

एससीए/एसए के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित लेखापरीक्षा फर्म की पात्रता के संबंध में वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) और शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र

वित्तीय वर्ष _____ के लिए अपने पहले / दूसरे / तीसरे कार्यकाल हेतु मेसर्स _____, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण संख्या _____) को सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक (एससीए) के रूप में नियुक्त करने के लिए बैंक इच्छुक है और इसलिए आरबीआई से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30(1ए)/बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10(1) के तहत पूर्व अनुमोदन मांग रही है.

2. बैंक ने वित्तीय वर्ष ____ के लिए सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक (एससीए) के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित पात्रता प्रमाण पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) (लेखापरीक्षा फर्म का नाम और फर्म पंजीकरण संख्या) से संबंधित जानकारी (प्रतिलिपि संलग्न) आरबीआई द्वारा निर्धारित प्रारूप के साथ प्राप्त किया. .

3 बैंक के साथ एससीए/एसबीए का ____ वर्षों से कोई पूर्व संबंध/संबंध नहीं है .

4. बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर)/यूसीबी के एससीए की नियुक्ति के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों के साथ उक्त फर्म के अनुपालन का सत्यापन किया है .

हस्ताक्षर

(नाम और पदनाम)
दिनांक:

भाग –बी

वर्ष 2022-23 हेतु घरेलू शाखाओं के लिए सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों (एसबीए) की नियुक्ति हेतु नीति

1. प्रस्तावना और पृष्ठभूमि:

हमारे बैंक द्वारा सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों (एसबीए) की नियुक्ति प्रत्येक वर्ष बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के आधार पर की जा रही है, जिसे भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है. स्वीकृत नीति को हमारे बैंक की वेबसाइट पर होस्ट किया जा रहा है.

दिनांक 19 मार्च, 2022 के सर्कुलेशन नोट नंबर 178 के माध्यम से दिनांक 24 मार्च 2021 के एफएंडए:बीएम:209:2021-22 द्वारा सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों के चयन और नियुक्ति की नीति की पिछली बार समीक्षा की गई थी,जिसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, जिसमें उपयुक्त सॉफ्टवेयर, अनुकूलित या अन्यथा की सहायता से कॉर्पोरेट कार्यालय में केंद्रीय रूप से एसबीए की नियुक्ति पर विचार करने के निदेश को दोहराया है, जिससे बैंक बोर्ड/एसीबी द्वारा तैयार/अनुमोदित नियुक्ति नीति के अनुसार लेखापरीक्षा फर्मों का चयन किया जा सके. एसबीए की नियुक्ति और शाखाओं का चयन केंद्रीय कार्यालय में एक आंतरिक विकसित सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन की सहायता से किया जाता है.

2. नीति का उद्देश्य और दायरा:

नीति का उद्देश्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों (एसबीए) की नियुक्ति में बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली एक रूपरेखा और कार्यप्रणाली प्रदान करना है. इस नीति का भाग 'बी' उन घरेलू शाखाओं के लिए एसबीए की नियुक्ति से संबंधित है, जिन्हें आरबीआई के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है. यह नीति आरबीआई द्वाराघरेलू शाखाओं हेतु एसबीए की नियुक्ति के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप है.

विदेशी शाखाओं के चयन और नियुक्ति के लिए वर्ष 2022-23 की नीति को बोर्ड द्वारा 25 मार्च, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में एजेंडा संख्या पी-24 के माध्यम से अनुमोदित किया गया है.

बैंक का उद्देश्य इस प्रकार चयनित और नियुक्त लेखापरीक्षा फर्मों की सहायता से सांविधिक/विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए वार्षिक समापन कार्य को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करना होगा.

3. नीति निर्माण और कार्यान्वयन पर आरबीआई के दिशानिर्देश:

सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों (एसबीए) की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए आरबीआई से पूर्व अनुमोदन समाप्त कर दिया गया है और अब आरबीआई ने पात्रता मानदंडों के अनुपालन के अधीन एसबीए की

नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए पीएसबी को सामान्य अनुमति दी है। आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए, घरेलू शाखाओं हेतु एसबीए की नियुक्ति के लिए नीति तैयार की जाएगी और एसीबी के समक्ष अनुमोदन के लिए और उसके बाद वित्त एंव लेखा (एफएंडए) द्वारा बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी. आरबीआई द्वारा जारी सभी प्रासंगिक दिशानिर्देशों का अनुपालन एफएंडए सुनिश्चित करेगा, जिसमें आवश्यक होने पर लेखापरीक्षा फर्मों से विभिन्न निर्धारित घोषणाएं / वचनबद्धताओं को प्राप्त करना शामिल है. एफएंडए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगा.

विदेशी शाखाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए, संबंधित विदेशी नियामकों / आरबीआई के नियामक ढांचे के अनुपालन में एक अलग नीति तैयार की गई है जिसे बोर्ड द्वारा 25 मार्च, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में एजेंडा संख्या पी -24 द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है.

विदेशी शाखाओं के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में, विदेशी नियामकों के साथ-साथ आरबीआई के लागू नियामक ढांचे का अनुपालन बैंक के अंतर्देशीय कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग (डीएफबी और आईबीडी) द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा.

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी पीएसबी को सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति की आवश्यकता होती है और इसे बैंक की वेबसाइट पर होस्ट किया जाएगा। बैंकों से यह भी सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षा फर्मों के चयन के मामले में बोर्ड द्वारा बनाई गई नीति का सख्ती से पालन किया जाता है।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों और प्रक्रिया का अनुपालन:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताए गए अनुसारघरेलू शाखाओं के लिए सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों (एसबीए) की नियुक्ति के मानदंड और प्रक्रिया नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अनुलग्नकों में दिया गया है:

4.1 सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए कारोबार कवरेज और शाखाओं के चयन के लिए पद्धति: खंड – I
4.2 पात्रता मानदंड और लेखापरीक्षा के वर्गीकरण के लिए मानदंड: खंड – II
4.3 एसबीए के चयन और नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति और शाखाओं के आवंटन की प्रक्रिया: खंड – III
4.4 भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार एसबीए द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विभिन्न घोषणाएं/वचन: खंड – IV

खंड-I

<u>सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए कारोबार कवरेज और शाखाओं के चयन के लिए पद्धति</u>

5. लेखापरीक्षा के अंतर्गत आने वाली शाखाओं का चयन:

5.1 आरबीआई द्वारा यह सलाह दी गई है कि कारोबार कवरेज और शाखाओं के चयन के लिए कार्यप्रणाली, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक-विशिष्ट विशेषताओं, प्रक्रियाओं के केंद्रीकरण की डिग्री, धोखाधड़ी जोखिम और क्रेडिट जोखिम को संबोधित करने की आवश्यकता,

आंतरिक/संगामी लेखापरीक्षकों से प्राप्त प्रतिकूल रिपोर्टों पर, व्हिसल ब्लोअर की शिकायतें और आंतरिक एमआईएस रिपोर्ट द्वारा दिखाई गई असामान्य पैटर्न/गतिविधि पर विचार करेगी । इसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्रामीण, अर्ध-शहरी, शहरी और महानगरीय शाखाओं के एक क्रॉस सेक्शन प्रतिनिधित्व को कवर किया गया है, जिसमें वे शाखाएँ भी शामिल हैं जो संगामी लेखापरीक्षा के अधीन नहीं हैं।

5.2 आरबीआई द्वारा यह भी सलाह दी गई है कि, बैंक का मुख्य परिचालन कार्यालय, (चाहे वह बैंक के प्रमुख / केंद्रीय कार्यालय से जुड़ा हो या एक अलग इकाई के रूप में कार्य करता हो), केंद्रीकृत प्रसंस्करण इकाइयाँ (सीपीयू) / ऋण प्रसंस्करण इकाइयाँ और अन्य केंद्रीकृत हब, चाहे किसी भी नाम से बुलाए गए हों, जो किसी विशेष वर्ष के दौरान सांविधिक शाखा लेखापरीक्षा के उद्देश्य से लिए गए हों, उन्हें किसी अन्य शाखा के रूप में माना जाएगा।

5.3 पिछले कई वर्षों के दौरान, बैंक ने विभिन्न प्रक्रियाओं के वर्टिकलाइजेशन/केंद्रीकरण की दिशा में कई पहल की हैं जैसे कि कारोबार की सोर्सिंग, प्रसंस्करण, संवितरण, अग्रिमों के साथ-साथ जमा उत्पादों की निगरानी करना। साथ ही, दैनिक आधार पर आस्ति वर्गीकरण के स्वचालन ने विभिन्न गतिविधियों की केंद्रीय रूप से निगरानी करना आसान बना दिया है और अप्रत्याशित स्थिति को कम कर दिया है, जिससे काफी हद तक ऋण जोखिम और परिचालन जोखिम कम हो गया है। इसके साथ ही, एक प्रभावी और कुशल आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित की गई है जो बैंक के आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन और प्रशासन प्रणालियों और प्रक्रियाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता पर बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन को स्वतंत्र आश्वासन सुनिश्चित करती है।

5.4 प्रक्रियाओं को मजबूत करने हेतु, बैंक ने बड़ी लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा संगामी लेखापरीक्षा के तहत शीर्ष 20 शाखाओं के कवरेज के लिए पहल की है, जिनके पास आरबीआई की पैनल सूची से पीएसबी का सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षा का अनुभव है। इसी प्रकार, आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा गुणवत्ता और अनुपालन को बढ़ाने के लिए सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक के रूप में अनुभव रखने वाली बाहरी लेखापरीक्षा फर्मों को केंद्रीय कार्यालय वर्टिकल का प्रबंधन लेखापरीक्षा सौंपी गई है।

5.4.1 बैंक ने इस तरह के अग्रिमों को संभालने के लिए क्रेडिट में विशेष ज्ञान के अधिकारियों के साथ 14 बड़ी कॉर्पोरेट शाखाओं (एलसीबी), 55 मिड कॉर्पोरेट शाखाओं (एमसीबी), 105 एमएसएमई फर्स्ट शाखाओं (यूएमएफबी) जैसी विशिष्ट शाखाओं की स्थापना की है। ये शाखाएं बैंक के कुल मानक अग्रिमों का 44.55% कवर करती हैं।

5.4.2 एनपीए वसूली पर विशेष ध्यान देने के लिए, बैंक ने बड़े मूल्य के एनपीए और आईबीसी के तहत एनसीएलटी को संदर्भित मामलों से निपटने के लिए 09 दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन (एसएएम) शाखाएं खोली हैं। इसके अलावा, सरफेसी /डीआरटी के तहत वसूली पर ध्यान केंद्रित करते हुए छोटे मूल्य के एनपीए से निपटने के लिए 21 विशिष्ट आस्ति वसूली शाखाएँ (एआरबी) खोली हैं। ये शाखाएं बैंक के कुल एनपीए (टीडब्ल्यूओ सहित) के 73.20% को कवर करती हैं।

5.4.3 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक की संगामी लेखापरीक्षा प्रणाली के तहत कवर की गई शाखाओं/कार्यालयों की संख्या 1868 थी, जिसमें 66.32% अग्रिम और 64.73% एनपीए शामिल थे, जो प्रमुख इकाइयों और सीओ वर्टिकल को कवर करते थे।

5.4.4 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, लेखापरीक्षा और निरीक्षण विभाग (ए एवं आईडी) के तहत बैंक की आंतरिक निरीक्षण प्रणाली ने 70.49% अग्रिमों और 58.64% एनपीए को कवर करते हुए 7602 शाखाओं और अन्य परिचालन इकाइयों को कवर करने का प्रस्ताव दिया है।

5.4.5 बैंक ने 3 वर्ष की अवधि को कवर करने वाली बैंक की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन और परीक्षण करने के लिए एक सनदी लेखाकार फर्म को नियुक्त किया है। फर्म ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों को कवर करते हुए बैंक की सभी प्रमुख वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं का मूल्यांकन किया है और कमजोरी/विचलन की पहचान करने के लिए इन प्रक्रियाओं की तिमाही पूर्वाभ्यास को भी कवर किया है। फर्म द्वारा पहचाने गए विचलन को प्रक्रियाओं/प्रणालियों में सुधार के माध्यम से तुरंत ठीक किया जाता है।

5.4.6 बैंक ने बैंक के आंतरिक खातों की प्रणाली के मूल्यांकन और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इसके समाधान के लिए एक अहर्ता प्रणाली लेखापरीक्षक भी नियुक्त किया है। प्रणाली लेखापरीक्षक द्वारा पहचानी गई कमियों को सुधारा गया है और एसीई/एसीबी/आरबीआई को रिपोर्ट किया गया है।

*नोट: % की गणना 28.02.2023 को अग्रिम/एनपीए डाटा और 31.12.2022 तक तकनीकी बट्टे खाते डाले गए (टीडब्ल्यूओ) अग्रिम डेटा पर आधारित है।

5.5 उपरोक्त के अनुसार, सांविधिक शाखा लेखापरीक्षा के तहत शाखाओं के चयन के लिए निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाता है:

5.5.1 खुदरा, कृषि, एमएसएमई और कॉर्पोरेट अग्रिमों के मिश्रण के साथ बड़े अग्रिम वाली शाखाएँ। यह विशिष्ट शाखाओं को कवर करेगा, जैसे कि लार्ज कॉर्पोरेट शाखाएँ (एलसीबी), मिड कॉर्पोरेट शाखाएँ (एमसीबी), यूनियन एमएसएमई फर्स्ट शाखाएँ (यूएमएफबी), बी श्रेणी शाखाएँ, विशिष्ट आस्ति वसूली शाखाएँ जैसे एसएएमबी और एआरबी, आदि।

5.5.2 लेखापरीक्षा और निरीक्षण वर्टिकल द्वारा पहचानी गई उच्च जोखिम वाली शाखाएं/विशेष रिपोर्ट शाखाएं।

5.5.3 लेनदेन निगरानी और धोखाधड़ी प्रबंधन वर्टिकल द्वारा पता लगाई गई और रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी वाली शाखाएँ।

5.5.4 लेखापरीक्षा और निरीक्षण वर्टिकल द्वारा प्रदान की गई आंतरिक / संगामी लेखापरीक्षकों से प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त शाखाएँ।

5.5.5 मानव संसाधन वर्टिकल द्वारा जिन शाखाओं में व्हिसिल ब्लोअर की शिकायत प्राप्त हुई है।

5.5.6 लेन-देन निगरानी और धोखाधड़ी प्रबंधन वर्टिकल से प्राप्त होने वाले असामान्य पैटर्न / गतिविधि अर्थात कारोबार के आंकड़ों में उछाल।

5.5.7 सीएमसीसी वर्टिकल के अनुसार क्रिटिकल अर्ली वार्निंग सिग्नल (ईडब्ल्यूएस) / रेड फ्लैग्ड अकाउंट्स (आरएफए) वाली शाखाएँ ।

5.5.8 इसके अलावा मुद्रा तिजोरी, सेवा शाखाएं, सीएपीएस/सीएमएस शाखाएं, एनईएफटी/आरटीजीएस/एफटीएस केंद्र, पूंजी बाजार/डीपी शाखाओं जो उच्च मूल्य के लेनदेन से संबंधित हैं, पर सांविधिक लेखापरीक्षा के तहत विचार किया जाएगा।

5.5.9 अन्य व्यावसायिक इकाइयों, जैसे आरएलपी, एमएलपी, स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज/यूएलए आदि को प्रत्येक 3 वर्षों में रोटेशन के आधार पर सांविधिक शाखा लेखापरीक्षा के तहत कवर किया जाना है।

5.5.10 सीएमसीसी वर्टिकल द्वारा पहचानी गई उच्च दबावग्रस्त आस्ति वाली शाखाएँ।

5.5.11 उपरोक्त के अलावा, कुछ अन्य निम्न अग्रिम शाखाओं का भी यादृच्छिक आधार पर एक आश्चर्य के तत्व के रूप में चयन किया जाएगा।

5.6 शाखाओं का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बैंक की सांविधिक शाखा लेखापरीक्षा की जानी चाहिए जिससे बैंक के सभी निधिक ऋण जोखिमों का न्यूनतम 70% और बैंक के सभी गैर-निधिक ऋण जोखिमों का 70% कवर किया जा सके या समय-समय पर आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जा सके।

5.7 उन शाखाओं के संबंध में, जो सनदी लेखाकारद्वारा संगामी लेखापरीक्षा के अधीन हैं और एसबीए द्वारा शाखा लेखापरीक्षा के लिए चयनित नहीं हैं, संगामी लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए एलएफएआर और अन्य प्रमाणन को समेकित किया जाएगा और बैंक द्वारा बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा।

6. शाखाओं के वर्गीकरण के लिए मानदंड:

आरबीआई ने नीति के भाग बी अनुलग्नक II में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर लेखापरीक्षा फर्मों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक ने सांविधिक लेखापरीक्षा के तहत निधि आधारित और गैर-निधि आधारित ऋण जोखिम के न्यूनतम 70% के अग्रिमों और कवरेज के आधार पर एसबीए/एससीए को पारिश्रमिक पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके परिणामस्वरूप बड़े ऋण जोखिम वाली शाखाओं को शामिल किया गया है। उपरोक्त के मद्देनजर हम शाखाओं के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित मानदंड प्रस्तावित करते हैं:

अग्रिम स्तर	शाखा की श्रेणी
₹ 175 करोड़ और अधिक	I
₹ 100 करोड़ और उससे अधिक और ₹ 175 करोड़ से कम	II
₹ 50 करोड़ और उससे अधिक और ₹ 100 करोड़ से कम	III
₹ 50 करोड़ से कम	IV

बैंक लेखापरीक्षा के लिए चुनी गई शाखाओं की श्रेणी और आकार को ध्यान में रखते हुए, जहां तक संभव हो, लेखापरीक्षा फर्मों का चयन इस तरह से कर सकता है कि सभी श्रेणियों से लेखापरीक्षा फर्मों का उचित मिश्रण हो।

खंड - II

<u>पात्रता मानदंड और लेखापरीक्षा के वर्गीकरण के लिए मानदंड:</u>

एसबीए के रूप में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए, एक लेखापरीक्षा इकाई (अर्थात् लेखापरीक्षा फर्म या एकल स्वामित्व लेखापरीक्षक) निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करेगी:

ए) लेखापरीक्षा इकाई कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 में निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करती है।

बी) लेखापरीक्षा इकाई या उसके किसी भी साझेदार को आरबीआई, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएवंएजी), भारत सरकार, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण(एनएफआए) और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) सहित किसी भी नियामक निकाय द्वारा लेखापरीक्षक के रूप में कर्तव्यों का निर्वाह करने से नहीं रोका गया है।

सी) लेखापरीक्षा इकाई नियुक्ति की अवधि के लिए किसी अन्य पीएसबी के एसबीए या सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक (एससीए) के रूप में लेखापरीक्षा कार्य नहीं कर रही है।

डी) यदि लेखापरीक्षक ने बैंक के एसबीए के रूप में पहले लगातार चार वर्ष पूरे कर लिए हैं, तब उसी पीएसबी के एसबीए के रूप में अंतिम लेखापरीक्षा कार्य पूरा होने के बाद कम से कम चार वर्ष बीत चुके हैं।

ई) यदि लेखापरीक्षक को अतीत में बैंक के एससीए के रूप में नियुक्त किया गया है, तब कम से कम छह साल उसी पीएसबी के एससीए के रूप में अंतिम लेखापरीक्षा नियुक्ति के पूरा होने के बाद समाप्त हो गए हैं (पिछली नियुक्ति के कार्यकाल पर ध्यान दिए बिना)।

एफ) लेखापरीक्षा फर्म का कोई भी साझेदार या लेखापरीक्षा इकाई का स्वामी उसी पीएसबी में निदेशक नहीं है।

जी) लेखापरीक्षा इकाई का उसी पीएसबी के किसी अन्य एसबीए के साथ कोई सामान्य साझेदार नहीं है और वे एक ही नेटवर्क के तहत नहीं हैं [जैसा कि लेखापरीक्षा फर्मों की कंपनियों (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 6(3) में परिभाषित किया गया है] ।

एच) लेखापरीक्षा इकाई नीचे उल्लिखित मानदंडों के अनुसार बैंक लेखापरीक्षा अनुभव, साझेदारों की संख्या, स्थिति आदि के मानदंडों को पूरा करती है।

आरबीआई के अनुसार लेखापरीक्षा फर्मों के वर्गीकरण के लिए मानक/मानदंड:

श्रेणी	फर्म से अनन्य रूप से जुड़े* सीए की संख्या (पूर्णकालिक)	फर्म के साथ अनन्य रूप से जुड़े साझेदारों की संख्या * (पूर्णकालिक) (2 में से)	पेशेवर कर्मचारी *	बैंक का लेखापरीक्षा अनुभव	लेखापरीक्षा फर्म की स्थिति *
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	5	3	8	फर्म या कम से कम एक साझेदार को राष्ट्रीयकृत बैंक और/या निजी क्षेत्र के बैंक की शाखा लेखापरीक्षा का न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.	8 साल
II.	3	2	6	फर्म या कम से कम एक साझेदार ने राष्ट्रीयकृत बैंक और/या एक निजी क्षेत्र के बैंक की कम से कम 5 वर्षों की शाखा लेखापरीक्षा संचालित की है.	6 साल (फर्म या कम से कम एक साझेदार के लिए)
III.	2	1	4	फर्म या कम से कम एक सीए ने कम से कम 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक और/या निजी क्षेत्र के बैंक की शाखा लेखापरीक्षा संचालित की है.	5 साल (फर्म या कम से कम एक साझेदार के लिए)
IV.	2	2	2	आवश्यक नहीं	3 वर्ष
	बैंक लेखापरीक्षा अनुभव के बिना भी संबंधित स्वामित्व पर पूर्व की भांति तक विचार किया किया जा सकता है. (1 वैतनिक सीए, 2 पेशेवर कर्मचारियों वाले सनदी लेखाकार के संबंधित स्वामित्व और किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या निजी क्षेत्र के बैंक की कोई सांविधिक शाखा लेखापरीक्षा अनुभव नहीं है, ऐसी स्थिति में उनकी स्थापना की तिथि से 3 साल की वरिष्ठता को हटाने के बाद साझेदार फर्म के बराबर माना जाएगा..				

* ' अनन्य जुड़ाव ', 'पेशेवर कर्मचारी' और 'लेखापरीक्षा फर्म की स्थिति' की परिभाषा वही होगी जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के पैनल के मानदंडों में परिभाषित है.

खंड – III

<u>एसबीए के चयन और नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति और शाखाओं के आवंटन की प्रक्रिया:</u>

7. जैसा कि आरबीआई द्वारा सलाह दी गई है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों (एसबीए) की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा

i) पात्र लेखापरीक्षा संस्थाओं की सूची भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। सतत / गैर-सतत लेखापरीक्षकों आदि की पहचान करने के लिए इसकी समीक्षा की जाएगी और चयन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को अग्रेषित किया जाएगा।

ii) बैंकों को चयनित लेखापरीक्षा संस्थाओं को स्पष्ट रूप से सूचित करना होगा कि प्रत्येक लेखापरीक्षा इकाई केवल एक पीएसबी में लेखापरीक्षा कार्य (शाखा लेखापरीक्षा) कर सकती है।

iii) लेखापरीक्षा इकाई को लगातार चार वर्षों की अवधि के लिए बैंक में कार्य करने पर विचार करने के लिए लिखित रूप में अपनी अपरिवर्तनीय सहमति देनी चाहिए।

iv) साथ ही, लेखापरीक्षा संस्था नियुक्त किए जाने पर किसी अन्य पीएसबी के एससीए या एसबीए के रूप में नियुक्ति को स्वीकार नहीं करने का वचन भी देगी।

v) नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति से पहले, चयनित लेखापरीक्षा संस्थाओं के नाम आरबीआई की लेखापरीक्षक आवंटन प्रणाली (एएएस) में अपलोड किए जाएंगे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कई पीएसबी द्वारा पसंद की जाने वाली लेखापरीक्षा इकाई पहले आओ, पहले सेवा पाओ के आधार पर एएएस द्वारा केवल एक पीएसबी को आबंटित की जाती है। नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के बाद, बैंक शाखाओं के आवंटन के विवरण के साथ नियुक्त एसबीए की सूची आरबीआई (एएएस के माध्यम से) को रिपोर्ट करेंगे ।

8. नियुक्ति की अवधि: एसबीए का किसी विशेष बैंक में अधिकतम चार वर्ष का कार्यकाल होगा। एसबीए की नियुक्ति लगातार चार वर्षों की अवधि तक वार्षिक आधार पर की जाएगी, बशर्ते कि वे अनुलग्नक II में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। नियुक्त एसबीए के नाम आरबीआई को सूचित किए जाएंगे।

9. लेखापरीक्षकों को हटाना: चार साल की लेखापरीक्षा अवधि पूरी होने से पहले पीएसबी द्वारा एसबीए की गैर -पुनर्नियुक्ति / निष्कासन करना आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहेगा। पूर्व अनुमोदन के लिए ऐसा अनुरोध बोर्ड/एसीबी के अनुमोदन से भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा जाएगा।

10. शाखाओं के आवंटन के सिद्धांत: शाखाओं का आवंटन करते समय, बैंकों को उन लेखापरीक्षा संस्थाओं का चयन करना आवश्यक है जो उनके कार्यालयों/शाखाओं के करीब हैं। बैंकों को लेखापरीक्षित की जाने वाली शाखाओं के आकार को ध्यान में रखते हुए शाखा लेखापरीक्षकों का चयन करते समय लेखापरीक्षा संस्थाओं की विभिन्न श्रेणियों का उपयुक्त मिश्रण रखना भी आवश्यक है। बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे लेखापरीक्षा फर्मों को उनकी श्रेणी और लेखापरीक्षा अनुभव को ध्यान में रखते हुए, जहां तक संभव हो, शाखाओं को इस तरह से आवंटित करें कि विशेष और बड़ी शाखाओं का लेखापरीक्षा बड़ी/अनुभवी लेखापरीक्षा संस्थाओं द्वारा किया जाए।

11. प्रतिबंधात्मक श्रेणी:

- पीएसबी से सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के रूप में सेवानिवृत्त होने वाली लेखापरीक्षा फर्म उस विशेष पीएसबी से एससीए के लिए निर्धारित कूलिंग अवधि (छह वर्ष) के दौरान उसी पीएसबी के एसबीए के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होंगी।

    - फर्म (या उसका कोई साझेदार) जिसके विरुद्ध किसी नियामक/न्यायाधिकरण/न्यायालय द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है/लंबित है.
    - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य घोषित की गई फर्में.
    - वे फर्में जिनके साझेदार हमारे बैंक के बोर्ड में हैं, एसबीए के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं.
    - एसबीए और उनकी सहयोगी फर्मों/सहयोगी संस्थाओं को, किसी भी आंतरिक लेखापरीक्षा, टीईवी अध्ययन, विशेष लेखापरीक्षा (फोरेंसिक लेखापरीक्षा और बड़े उधारकर्ता खातों की विशेष निगरानी के लिए एजेंसी सहित) और बैंक द्वारा नियुक्त दिवाला कार्य के लिए, व्यक्तिगत रूप से या संघीय/ संयुक्त ऋण व्यवस्था के रूप में जहाँ बैंक एक सदस्य है अयोग्य घोषित किया जाएगा.
    - लेखापरीक्षा कार्य के किसी भी उप-संविदा की अनुमति नहीं है और केवल ऐसे टीम के सदस्यों को लेखापरीक्षा करने की अनुमति है जो या तो साझेदार हैं या फर्म के साथ कार्यरत हैं या आईसीएआई रिकॉर्ड के अनुसार लेखा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं.
    - लेखापरीक्षा फर्म पुष्टि करेगी कि लेखापरीक्षा नियुक्ति टीम के अंदर पर्याप्त ज्ञान, क्षमता, विशेषज्ञता और लेखापरीक्षा स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के साथ ही किसी भी लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में लेखापरीक्षा आयोजित की जाएगी.

    इसके लिए लेखापरीक्षा फर्म से वचन पत्र लिया जाएगा. आरबीआई के मौजूदा निर्देशों के अनुसार एसबीए द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विभिन्न घोषणाएं और वचन अनुलग्नक V में निहित हैं.

12. लेखापरीक्षा फर्मों के चयन के लिए मानदंड:

लेखापरीक्षा फर्मों से संपर्क करते समय, एफएंडए निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा:

12.1 सतत लेखापरीक्षा फर्म:

उन सभी लेखापरीक्षा फर्मों पर विचार करना जिनके नाम वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा कार्य के लिए जारी लेखापरीक्षकों की सूची में शामिल हैं।

12.2 गैर-सतत लेखापरीक्षा फर्म:

लेखापरीक्षा फर्मों के पैनल को अंतिम रूप देते समय, आरबीआई ने सम्यक् तत्परता और पुनरीक्षण किया है। अतः, यह माना जाएगा कि किसी विशेष श्रेणी की सभी लेखापरीक्षा फर्म शाखा लेखापरीक्षक के रूप में माने जाने के लिए समान रूप से सक्षम हैं। आरबीआई द्वारा प्रदान की गई सूची में बड़ी संख्या में लेखापरीक्षा फर्मों के दिखाई देने और समय की कमी को देखते हुए, उन लेखापरीक्षा फर्मों को वरीयता

दी जाएगी, जो आरबीआई द्वारा प्रदान की गई सूची में शामिल हैं, जिन्होंने हाल के दिनों में हमारे बैंक का वर्ष 2022-23 का सांविधिक शाखा लेखापरीक्षा कार्य के कार्यभार के लिए संपर्क/अनुरोध किया है।

इसके पश्चात, यदि बैंक को रिक्ति भरने के लिए लेखापरीक्षा फर्मों की आवश्यकता होती है, तब क्रम संख्या और भौगोलिक स्थानों पर विचार करते हुए आरबीआई की सूची में दिखाई देने वाली लेखापरीक्षा फर्मों से संपर्क करेगा।

यदि संबंधित श्रेणी/स्थान की आवश्यक संख्या में लेखापरीक्षा फर्मों से सहमति प्राप्त नहीं होती है, तब अन्य श्रेणी/स्थान की लेखापरीक्षा फर्मों से उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए संपर्क किया जाएगा। लेखापरीक्षा फर्मों की श्रेणी/स्थान में विनिमेयता के साथ विचार की जाने वाली नई लेखापरीक्षा फर्मों की संख्या केवल बैंक की समग्र आवश्यकता तक ही सीमित होगी।

13. गैर-सतत लेखापरीक्षा संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया:

मुख्य महाप्रबंधकों / महाप्रबंधकों की समिति जिसे "सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए समिति" कहा जाता है, जिसमें i) मुख्य वित्तीय अधिकारी ii) वर्टिकल प्रमुख- लेखापरीक्षा एंड निरीक्षण iii) सीआरओ-आरएमडी और iv) वर्टिकल प्रमुख- एसएएमवी शामिल होंगे, आरबीआई द्वारा प्रदान की गई गैर-सतत सांविधिक शाखा लेखापरीक्षा फर्मों की सूची से निम्नलिखित तरीके द्वारा लेखापरीक्षा फर्म की सूची चयनित करेंगे:

13.1 समिति आरबीआई के दिशानिर्देशों और शाखाओं के वर्गीकरण के उपर्युक्त अतिरिक्त मानदंडों के आधार पर नियुक्ति के लिए श्रेणीवार लेखापरीक्षा फर्मों की संख्या का आकलन करेगी।

13.2 मौजूदा आरबीआई मानदंड प्रति लेखापरीक्षा फर्म अधिकतम 2 शाखाओं के आवंटन की अनुमति देते हैं। हालाँकि, पिछले अनुभव के अनुसार, कुछ लेखापरीक्षा फर्म सहमति देने के बाद भी कार्यभार लेने से इंकार कर सकती हैं और कभी-कभी कई बैंकों को सहमति दी जाती है, जिसके कारण आरबीआई द्वारा अस्वीकृति होती है। साथ ही, विभिन्न राज्यों/केंद्रों में लेखापरीक्षा फर्म की श्रेणी-वार आवश्यकता पर विचार करते हुए, अंतरराज्यीय कार्यभार को कम करने और समय पर और सुचारू रूप से लेखापरीक्षा कार्य पूरा करने हेतु, समिति लेखापरीक्षा के अधीन शाखाओं की संख्या के आधार पर मौजूदा सतत शाखा लेखापरीक्षकों की संख्या से अधिक संख्या में लेखापरीक्षा फर्मों का चयन करने पर विचार कर सकती है (एफबी के साथ-साथ एनएफबी अग्रिमों के 70% को कवर करने के लिए या समय-समय पर आरबीआई द्वारा यथा निर्धारित), तथापि, किसी भी मामले में प्रत्येक एसबीए को दो से अधिक शाखाएँ आवंटित नहीं की जाएंगी और इसलिए बैंक अधिकतम 2 शाखा आवंटन अनुपात बनाए रखेगा।

13.3 कार्यपालकों की उक्त समिति द्वारा वर्ष के लिए चयनित और नियुक्त की जाने वाली नई लेखापरीक्षा फर्मों की आवश्यकता का आकलन करने के बाद, वित्त एवं लेखा (एफएंडए) आरबीआई द्वारा प्रदान की गई गैर-सतत लेखापरीक्षकों की सूची से नई लेखापरीक्षा फर्मों में से चयनित सूची बनाकर पात्र लेखापरीक्षा फर्मों से संपर्क और सहमति पत्र प्राप्त करने का काम करेगा।

14. शाखाओं का आवंटन:

14.1. एससीए की टीम को बैंक की शीर्ष 20 शाखाओं (अग्रिम स्तर के संदर्भ में) को सौंपा जा सकता है, जो बैंक के अग्रिमों के कम से कम 15% को कवर करे, जिसमें किसी भी व्यक्तिगत एससीए को अधिकतम 4 शाखाएँ, जिसकी उन्होंने पहले लेखापरीक्षा नहीं की है, सौंपी जा सकती हैं . प्रत्येक एसबीए को दो से अधिक शाखाएं आवंटित नहीं की जा सकती हैं.

14.2. शाखाओं का आवंटन करते समय जारी रखने वाले और नए लेखापरीक्षकों के बीच कोई भेद नहीं किया जाएगा.

14.3. लेखापरीक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए , विशेष रूप से बड़ी शाखाओं के मामले में, जहां आईआरएसी मानदंडों के उचित अनुपालन के साथ-साथ आरबीआई परिपत्रों की सही व्याख्या की आवश्यकता है, अनुभवी वरिष्ठ लेखापरीक्षा फर्म/फर्मों को नियोजित करना बहुत आवश्यक है. वे बैंक की वित्तीय स्थिति को ठीक से बताने के लिए सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों को एक उच्च स्तर की सुविधा भी देंगे.

14.4. हालांकि शेष शाखाओं के लिए बैंक का यह प्रयास रहेगा कि संबंधित शहर/राज्य पूल से लेखापरीक्षा फर्म का चयन करें तथापि, यदि उस स्थान पर शाखाओं/लेखापरीक्षकों की निर्धारित श्रेणी की अनुपलब्धता या किसी अन्य वास्तविक कारण से यह संभव/व्यवहार्य नहीं है तो लेखापरीक्षा फर्म को अन्य श्रेणी/शहर/राज्य पूल से शाखाएँ आवंटित की जा सकती हैं.

14.5. शाखाओं का आवंटन, यथा संभव उनकी श्रेणी के अनुसार होगा, तथापि, यदि किसी भी श्रेणी में लेखापरीक्षा फर्मों की संख्या आवश्यक संख्या से कम रहती है, तो उस श्रेणी की शाखाएं अन्य श्रेणी के लेखापरीक्षकों को आवंटित की जाएंगी.

निष्पक्ष एवं स्वतंत्र लेखपरीक्षा हेतु , पिछले वर्ष के दौरान एसबीए द्वारा की गई लेखापरीक्षा में शामिल शाखाओं को दोहराया नहीं जाएगा.

15. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शाखाओं का टैक्स लेखापरीक्षा:

पिछले वर्षों की तरह, बैंक का टैक्स लेखापरीक्षा केंद्रीय कार्यालय स्तर पर सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) के माध्यम से किया जाएगा। टैक्स लेखापरीक्षा कार्यभार के लिए देय पारिश्रमिक को एससीए के साथ चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। टैक्स लेखापरीक्षा कार्यभार के लिए नियुक्ति और पारिश्रमिक का निर्धारण बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा।

16. लेखापरीक्षा फर्मों के पैनल की सिफारिश और अनुमोदन:

एसबीए के चयन और नियुक्ति के लिए कार्यपालकों की समिति, वर्तमान वर्ष के लिए उत्पन्न होने वाली रिक्तियों की संख्या को भरने के लिए बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन हेतु शाखा लेखापरीक्षा फर्मों के पैनल की सिफारिश करेगी। एसीबी द्वारा शाखा लेखापरीक्षकों के पैनल के अनुमोदन के बाद, इसे किसी अन्य पीएसबी द्वारा लेखापरीक्षा फर्म की नियुक्ति के किसी भी दोहराव से बचने के लिए आरबीआई के लेखापरीक्षक आवंटन प्रणाली (एएएस) पर अपलोड किया जाएगा। एएएस सिस्टम 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर केवल एक पीएसबी द्वारा लेखापरीक्षा फर्मों की नियुक्ति सुनिश्चित करेगा। एएएस के माध्यम से सत्यापन के बाद शाखा

लेखापरीक्षा फर्मों की अंतिम सूची का उपयोग इस नीति में निर्धारित पद्धति के अनुसार नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति और शाखाओं के आवंटन के लिए किया जाएगा।

नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के बाद, बैंक शाखाओं के आवंटन के विवरण के साथ नियुक्त एसबीए की अंतिम सूची आरबीआई (एएएस के माध्यम से) को रिपोर्ट करेगा। एसबीए की नियुक्ति की अंतिम सूची निदेशक मंडल के समक्ष रखी जाएगी।

17. एससीए/एसबीए की नियुक्ति के लिए नीति की वैधता और उसमें संशोधन:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एससीए और एसबीए की नियुक्ति की नीति आरबीआई द्वारा जारी नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुरूप है। नीति वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मान्य होगी। नीति की हर साल समीक्षा की जाएगी और समय-समय पर आरबीआई/आईसीएआई/एमओएफ/एमसीए द्वारा सूचित दिशानिर्देशों को प्रभावी करने के लिए और एसीबी/बोर्ड से पूर्व अनुमोदन के अनुसार संशोधित की जाएगी।

खंड - IV

भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न घोषणाओं/वचन पत्र के प्रारूप, जिन्हें एसबीए द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है:

अनुलग्नक - I

लेखापरीक्षा फर्म के लेटर हेड पर फर्म का पूरा नाम, पता, टेलीफोन/फैक्स/मोबाइल नंबर, ई-मेल पता

मुख्य वित्तीय अधिकारी
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
वित्त एवं लेखा
यूनियन बैंक भवन, छठा तल,
239, विधान भवन मार्ग
नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

प्रिय महोदय,

विषय: 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** की शाखाओं की सांविधिक शाखा लेखापरीक्षा करने के लिए सहमति पत्र

हम वर्ष 2022-23 के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक के रूप में अपनी नियुक्ति पर विचार करने के लिए और साथ ही बाद के वर्षों के लिए भी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी अपरिवर्तनीय सहमति देते हैं.

हमारे द्वारा दी गई उपरोक्त सहमति को अपरिवर्तनीय माना जा सकता है और हम बैंक को बदलने का अनुरोध नहीं करेंगे।

साथ ही, हम सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्ति पर विचार करने के लिए किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को सहमति नहीं देंगे।

हम वचन देते हैं कि हमारी फर्म आपके बैंक के साथ-साथ बैंक की किसी भी सहायक कंपनी के किसी भी आंतरिक कार्यभार से संबद्ध नहीं है। हम यह भी वचन देते हैं कि यदि हम ऐसे किसी कार्य से जुड़े हैं तब हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सांविधिक लेखापरीक्षा कार्य को स्वीकार करने से पहले उसे छोड़ दिया जाएगा।

हम नियुक्ति के लिए अंतिम अनुमोदन प्राप्त होने तक गोपनीयता बनाए रखने का भी आश्वासन देते हैं।

भवदीय
लेखापरीक्षा फर्म और हस्ताक्षरकर्ता का नाम,
विशिष्ट कोड संख्या, सदस्यता संख्या, फर्म पंजीकरण संख्या

दिनांक:
स्थान:

अनुलग्नक: II

प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणापत्र का प्रोफोर्मा
(फर्म के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

मुख्य वित्तीय अधिकारी
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
वित्त एवं लेखा
यूनियन बैंक भवन, छठा तल,
239, विधान भवन मार्ग
नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.

प्रिय महोदय,

विषय: निष्ठा, गोपनीयता, गैर-अयोग्यता की घोषणा और लेखापरीक्षा कार्य को उप-संविदा न करने का वचनपत्र .

हम _____ घोषणा करते हैं कि हम ईमानदारी से, सही मायने में और अपने सर्वोत्तम कौशल और क्षमता के अनुसार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लेखापरीक्षकों के रूप में हमसे अपेक्षित कर्तव्यों को निष्पादित करेंगे और जो उक्त यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हमारे द्वारा धारित पद और उचित रूप से संबंधित हैं.

हम आगे घोषणा करते हैं कि हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मामलों, या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ कोई लेन-देन करने वाले किसी भी व्यक्ति के मामलों से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए कानूनी रूप से हकदार किसी भी व्यक्ति को संचार या संचार करने की अनुमति नहीं देंगे, न ही हम ऐसे किसी व्यक्ति को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित या उसके कब्जे में और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कारोबार से संबंधित या यूनियन बैंक के साथ कोई लेन-देन करने वाले किसी भी व्यक्ति के कारोबार से संबंधित किसी भी बहियों या दस्तावेजों का निरीक्षण करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने की अनुमति देंगे

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 में निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता के अधीन नहीं हैं और इसलिए हम लेखापरीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए योग्य हैं. हम यह भी घोषणा करते हैं कि न तो हमारी फर्म और न ही हमारे सहयोगियों (अर्थात उभयनिष्ठ साझेदार वाली फर्म) को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की आंतरिक लेखापरीक्षा या कोई अन्य कार्य नहीं दिया गया है.

हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि लेखापरीक्षा हमारे अपने स्टाफ द्वारा की जाएगी और हम भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना कार्य की उप-संविदा नहीं करेंगे.

हम यह भी घोषणा करते हैं कि संबंधित स्वामी/साझेदार किसी अन्य कंपनी/फर्म में कार्यरत नहीं है/हैं.

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हम पूर्णकालिक पेशेवर सनदी लेखाकार हैं और हमारा कोई अन्य कारोबारी हित नहीं है.

भवदीय,
कृते _____ (फर्म का नाम)
(हस्ताक्षरकर्ता का नाम)
साझेदार

अनुलग्नक - III

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से गैर-ऋणग्रस्तता की घोषणा
(फर्म के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

स्थान :
दिनांक :

मैं _____, _____ (पूरा पता) पर स्थित मैसर्स _____का प्रोपराईटर / मुख्य साझेदार हूं, यह घोषणा करता हूँ कि न तो मैं और न ही हमारा कोई साथी / मेरे / उनके परिवार के सदस्य (परिवार में पति या पत्नी के अलावा, केवल बच्चे, माता-पिता, भाई, बहन या उनमें से कोई भी शामिल होगा जो पूरी तरह से या मुख्य रूप से सनदी लेखाकार पर निर्भर हैं) या फर्म/कंपनी जिसमें मैं/वे साझेदार/निदेशक हैं* को किसी बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित किया गया है.

यदि उपरोक्त घोषणा या उसका कोई भाग गलत साबित होता है, तो बैंक मेरे खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान को इसके विवरण की सूचना देने के लिए स्वतंत्र है.

प्रोपराईटर/मुख्य
साझेदार के हस्ताक्षर

स्वामित्व संस्थान / साझेदार
फर्म की मुहर

* इस घोषणा के उद्देश्य हेतु , उन कंपनियों द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं को शामिल नहीं किया जाएगा, जहां किसी फर्म के साझेदार/प्रोपराईटर को पेशेवर क्षमता में गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसमें कोई वित्तीय हित नहीं है.

अनुलग्नक-IV

घोषणा
(फर्म के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

स्थान :
दिनांक :

1. मैं _____, जो _____
_____ (पूरा पता) पर स्थित है, मैसर्स_____ का मुख्य साझेदार एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे/हमारे किसी साझेदार/पति या पत्नी, आश्रित बच्चों और पूर्णरूप से या मुख्य रूप से आश्रित माता-पिता, भाइयों, बहनों या उनमें से कोई या फर्म या / कंपनी का/ की साझेदार या ऐसी फर्म/कंपनी जिसमें मैं/वे साझेदार/निदेशक हैं द्वारा _____ बैंक / वित्तीय संस्थान (कृपया नाम दें) से ली गई क्रेडिट सुविधाएं (तृतीय पक्ष द्वारा प्राप्त किसी भी सुविधा की गारंटी सहित) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्तियाँ नहीं हुई हैं.

2. इसके आगे, घोषणा करता/ती हूँ कि फर्म का कोई भी साझेदार/प्रोपराईटर या उनकी पत्नी/पति, आश्रित बच्चे और पूर्ण या मुख्य रूप से आश्रित माता-पिता, भाई, बहन या उनमें से कोई भी या फर्म/कंपनी जिसमें वे साझेदार/निदेशक हैं* को किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा इरादनत चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है .

3. यदि उपरोक्त घोषणा या उसका कोई भाग गलत साबित होता है, तो बैंक मेरे/हमारे खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान को उसके विवरण की सूचना देने के लिए स्वतंत्र है.

स्वामि/मुख्य साझेदार के हस्ताक्षर

स्वामित्व संस्थान/साझेदार फर्म की मुहर

* इस घोषणा के प्रयोजन के लिए उन कंपनियों द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा को शामिल नहीं किया जाएगा जहां फर्म के साझेदार/स्वामि को गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में पेशेवर क्षमता में नियुक्त किया गया है, जिसमें कोई वित्तीय हित नहीं है.

<u>अनुलग्नक: V</u>

वचन पत्र

(फर्म के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

मुख्य वित्तीय अधिकारी
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
वित्त एवं लेखा
यूनियन बैंक भवन,छठा तल,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

प्रिय महोदय,

1. हम वचन देते हैं कि किसी भी नियामक/न्यायाधिकरण/न्यायालय के साथ फर्म या साझेदारों के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी/अनुशासनिक कार्यवाही लंबित/शुरू नहीं की गई है.
2. हम यह वचन देते हैं कि, यदि एसबीए के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो हमारी फर्म की सहयोगी फर्म/ सहायक संस्था को बैंक और उसकी सहायक कंपनियों के किसी भी आंतरिक लेखापरीक्षा, टीईवी अध्ययन, विशेष लेखापरीक्षा, दिवाला कार्य आदि करने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.
3. हम पुष्टि करते हैं कि लेखापरीक्षा एंगेजमेंट टीम को पर्याप्त ज्ञान, क्षमता और विशेषज्ञता प्राप्त है और यह कि लेखापरीक्षा स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के साथ-साथ यथा लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी.
4. हम मानते हैं और समझते हैं कि लेखापरीक्षा कार्य के लिए किसी भी उप-संविदा की अनुमति नहीं है और केवल ऐसे टीम के सदस्यों को लेखापरीक्षा करने की अनुमति है जो या तो साझेदार हैं या फर्म के साथ कार्यरत हैं या आईसीएआई रिकॉर्ड के अनुसार लेखापरीक्षा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं.
5. हम पुष्टि करते हैं कि फर्म का कोई भी साझेदार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में नहीं है.

भवदीय,
..... कृते (फर्म का नाम)
..... (फर्म पंजीकरण संख्या)

(साझेदार/स्वामि का नाम)
साझेदार